ties for export to all growers and their co-operatives all over India, if and when the ban on exports is removed.

(iv) Need to open recruitment office of armed forces in Pithoragarh District of U.P.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में सेना की भर्ती कार्यालय खोले जाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। भारतीय सेना में इस जनपद के 60 हजार से अधिक कार्यरत सैनिक हैं तथा लगभग इतने ही सेवा निवृत सैनिक भी हैं। इस जनपद ने देश को कई विक्टोरिया चक्र, परमवीर चक्र, विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त सैनिक दिये हैं। यहां कई परिवार ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियों से सेना में सेवा करने की पारिवारिक परम्परा रही है। इन परिवारों से सम्बद्ध नौजवान भर्त्ती कार्यालय दूर होने के कारण भर्त्ती नहीं हो पाते हैं। इस क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों में इस कारण भारी असन्तोष व्याप्त है। भूतपूर्व सैनिक परिषद् यहां के नागरिकों द्वारा लगातार भर्ती कार्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। अल्मोड़ा स्थित भर्ती कार्यालय या भर्त्ती शिविरों से इस मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है।

सन् 1981 की जन-गणना के अनुसार इस जनपद की जनसंख्या सन् 1981 में 4 लाख 90 हजार के करीब थी और अब 5 लाख से अधिक जनसंख्या है। नेपाल के नौजवान भी यहां से गोरखा पल्टन में भर्त्ती होने आते हैं।

अतः रक्षा मंत्रालय को पिथौरागढ़ में शीघ्र भर्त्ती कार्यालय खोलना चाहिए।

(v) Need to help opium growers of Madhya Pradesh and Rajasthan

श्री सत्य नारायण जटिया : (उज्जैन) : मध्य प्रदेश और राजस्थान में विगत मास फरवरी के उत्तरार्ध में अर्धशीत लहर से जहां एक ओर फसलों को भारी क्षति हुई है वहीं दूसरी ओर अफीम की काश्त जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा और बूंदी जिलों में की जाती है पूरे तौर पर समाप्त हो गयी जिससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। शीत लहर के कारण किसान आर्थिक विपन्नता के कगार पर बेबस और बेजार असहाय और लाचार हो गया है। केन्द्र सरकार के मादक द्रव्य विभाग के बनाए नियमों के अधीन प्रति हैक्टेयर निर्धारित अफीम उत्पादन अनिवार्य है। अफीम का कच्चा फल "पापी हस्क" जिसे डोढ़ा कहते हैं, में हलका सा चीरा लगाने से दूध सा द्रव्य निकलता है, वह कुछ समय के बाद अफीम के रूप में जम जाता है जिसे एकत्रित कर लिया जाता है। डोढ़े के सूखने के उपरान्त उसमें से पोश्त निकलता है। किसान से अफीम की खरीद केन्द्र सरकार निर्धारित मूल्य पर करती है। अफीम की काश्त के लिए अतिरिक्त साधधानी, एक-एक पौधे की देखरेख पोषण और संभाल की आवश्यकता होती है।

अतएव इस प्राकृतिक विपदा में केन्द्र सरकार से आग्रह है कि नारिकोटिक्स डिपार्टमेंट के नियमों और उपनियमों से व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर प्रति हैक्टेयर न्यूनतम अफीम उत्पादन का निर्धारण कर किसान को किसी भी स्थिति में "लाइसेंस" पट्टा निरस्त न करने का आश्वस्त कर राज्यों को निर्देश दे जिससे सभी प्रकार की किसानों से की जाने वाली सरकारी वसूली को